

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—


संचिका सं०-17/विविध 2-07/2014/स्वा०, डा० रामजी प्रसाद सिंह, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अंतरिम व्यवस्था के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित पदस्थापन होने तक प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

- डा० सिंह को वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-9262 दिनांक-01.10.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम-84 के अन्तर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।
- डा० सीताराम प्रसाद, प्रभारी प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का प्रभार तत्काल डा० रामजी प्रसाद सिंह को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(राजीव कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 2-07/2014 - 18 (17/ पटना, दिनांक :- 10/01/19

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डा० रामजी प्रसाद सिंह, प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।